राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन/फेक्स : 02992–252377 **ई–मेल :** pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
20.12.2018

राज्य सरकार द्वारा आवंटियों की बकाया राशि 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर ब्याज में छूट

जैसलमेर, 20 दिसम्बर। उप निवेशन क्षेत्र जैसलमेर के सभी आवंटियों को सूचित किया गया है कि वे उन्हें राज्य द्वारा आवंटियों की बकाया राशि 31 दिसम्बर 2018 तक जमा कराने पर ब्याज में छूट प्रदान की गई है।

अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन (प्रशासन) जैसलमेर मोहनदान रतनू ने बताया कि इस संबंध में तहसीलदारों द्वारा समस्त बकाया काश्तकारों को नोटिस जारी किया जाकर सूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यदि किसी बकाया आवंटी को नोटिस नहीं मिला है तो सूचना को ही अन्तित नोटिस समझा जावें और अपनी बकाया राशि 31 दिसम्बर से पहले यथासमय जमा करवा कर अधिकाधिक ब्याज माफी का लाभ उठावें।

उल्लेखनीय है कि बकाया काश्तकारों द्वारा अपनी बकाया राशि 31 दिसम्बर तक जमा नहीं करवाने की स्थिति में उनको आवंटित भूमि को खारिज करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

––––000–––